Notice Board/
website
1-12-17

# कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर (छ.ग.)

Phone No. And Fax No.-0771-2426831 E-Mail- actd.raipur@nic.in

क./न.क.–06/आदि.वि./आ.ला.पो.मै.छा./2017–18/ 3483 रायपुर दिनांक 29/11/2017

प्रति,

सर्व अधिष्ठता/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य
शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय
...........................................................................
वि.खं.......................... जिला –रायपुर (छ0ग0)

विषय :– **अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति वर्ष 2017–18 की आनलाइन आवेदन एवं स्वीकृति के संबंध में।**

संदर्भ :– आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ0ग0 रायपुर का पत्र कमांक/आ.ला.पो.मै.छा./92/2017–18/9174 रायपुर दिनांक 25.11.2017

––00––

रायपुर जिला अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है शिक्षा सत्र 2017–18 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति **(कक्षा 11वीं एवं 12वीं छोड़कर)** के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही tribal.cg.gov.in/scholarship वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव/स्वीकृति लाक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में निम्नानुसार अंतिम तिथि निर्धारित की गई है:–

| क. | प्रकिया | अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| 1 | विद्यार्थी द्वारा आनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण) | दिनांक 01.12.2017 से 20.12.2017 तक |
| 2 | Draft Proposal Lock करने हेतु | दिनांक 01.12.2017 से 25.12.2017 तक |
| 3 | Sanction Order Lock करने हेतु | दिनांक 01.12.2017 से 31.12.2017 तक |

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2017–18 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नही किये जावेगें एवं draft prosal अथवा sanction order lock करने का अवसर भी प्रदान नही किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होगें।

**नोटः– पोस्ट मैट्रिक (कक्षा 12वीं से उच्चतर) अनु.जनजाति वर्ग के जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में** National Scholarsip Portal (scholarships.gov.in) **पर आवेदन किया जा चुका है, उन्हे भी पुनः विभाग की वेबसाइट** tribal.cg.gov.in/scholarship **पर आवेदन करना अनिवार्य है। उनको केवल इसी पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी।**

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास रायपुर

कमशः....2....